बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)

निकट सी.पी.आर.एस., पो.ऑ. बिहार भेटनरी कॉलेज, जगदेव पथ, पटना 800 014
Website : www.bameti.org Telefax-0612-2227039
Email : *bameti.bihar@gmail.com*, bameti.bihar@rediffmail.com

पत्रांकः 10 (i) पार्ट / बामेती / 2014–15 / 411 दिनांक 17.06.16

प्रेषक

गणेश राम
निदेशक,
बामेती, बिहार, पटना

सेवा में,

संयुक्त निदेशक (रसायन) बायोगैस एवं कम्पोस्ट–सह–
प्रभारी उप निदेशक (सूचना)
बिहार, पटना

विषय – दिनांक 27.05.2016 को कृषि निदेशक, बिहार, पटना–सह–अध्यक्ष मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में अंकेक्षण प्रतिष्ठानों के वित्तीय मूल्यांकन से संबंधित बैठक की कार्यवाही को कृषि विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 27.05.2016 को कृषि निदेशक, बिहार, पटना–सह–अध्यक्ष मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण प्रतिष्ठानों के चयन के लिए आमंत्रित निविदाओं में से तकनीकी रूप से योग्य पाए गए निविदाओं के वित्तीय मूल्यांकन से संबंधित बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की कार्यवाही की कंडिका सं0 –6 में यह निर्णय लिया गया है कि मूल्यांकन समिति द्वारा लिए गए निर्णय पर आपत्ति प्राप्त करने हेतु बैठक की कार्यवाही को कृषि विभाग तथा बामेती के वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाए ताकि अगर किसी प्रतिष्ठान को कोई आपत्ति हो तो अपलोड करने की तिथि से 10 दिनों के अंदर आपत्ति देते हैं तो उसे मूल्यांकन समिति की बैठक में रखकर विचार किया जाएगा।

अतः बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इसे कृषि विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक- यथोपरि।

विश्वासभाजन

17/6/16

निदेशक
बामेती, बिहार, पटना

बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)

निकट सी.पी.आर.एस., पो.ऑ. बिहार भेटनरी कॉलेज, जगदेव पथ, पटना 800 014

Website : www.bameti.org Telefax-0612-2227039

Email : *bameti.bihar@gmail.com*, bameti.bihar@rediffmail.com

पत्रांकः 10 (i) पार्ट/बामेती/2014–15/ दिनांक

प्रेषक

गणेश राम
निदेशक,
बामेती, बिहार, पटना

सेवा में,

संयुक्त निदेशक (रसायन) बायोगैस एवं कम्पोस्ट–सह–
प्रभारी उप निदेशक (सूचना)
बिहार, पटना

विषय – दिनांक 27.05.2016 को कृषि निदेशक, बिहार, पटना–सह–अध्यक्ष मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में अंकेक्षण प्रतिष्ठानों के वित्तीय मूल्यांकन से संबंधित बैठक की कार्यवाही को कृषि विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 27.05.2016 को कृषि निदेशक, बिहार, पटना–सह–अध्यक्ष मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण प्रतिष्ठानों के चयन के लिए आमंत्रित निविदाओं में से तकनीकी रूप से योग्य पाए गए निविदाओं के वित्तीय मूल्यांकन से संबंधित बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की कार्यवाही की कंडिका सं0 –6 में यह निर्णय लिया गया है कि मूल्यांकन समिति द्वारा लिए गए निर्णय पर आपत्ति प्राप्त करने हेतु बैठक की कार्यवाही को कृषि विभाग तथा बामेती के वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाए ताकि अगर किसी प्रतिष्ठान को कोई आपत्ति हो तो अपलोड करने की तिथि से 10 दिनों के अंदर आपत्ति देते हैं तो उसे मूल्यांकन समिति की बैठक में रखकर विचार किया जाएगा।

अतः बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इसे कृषि विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक- यथोपरि।

विश्वासभाजन
ह0/–
निदेशक
बामेती, बिहार, पटना

ज्ञापांकः 10 (i) पार्ट/बामेती/2014–15/411 दिनांक 17.06.16

प्रतिलिपि – सभी संबंधित अंकेक्षण प्रतिष्ठानों को सूचनार्थ प्रेषित।

17/6/16

निदेशक
बामेती, बिहार, पटना

बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)

निकट सी.पी.आर.एस., पो.ऑ. बिहार भेटनरी कॉलेज, जगदेव पथ, पटना 800 014

Website : www.bameti.org Telefax-0612-2227039

Email : *bameti.bihar@gmail.com*, bameti.bihar@rediffmail.com

ज्ञापांक: 10 (i) पार्ट/बामेती/2014–15/411 दिनांक 17.06.16

प्रतिलिपि – कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिच, कृषि, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निदेशक, कृषि, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/अपर निदेशक (शस्य) प्रसार/संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस–सह–प्रभारी पदाधिकारी (आत्मा योजना) को बैठक की कार्यवाही की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

17/6/16

निदेशक

बामेती, बिहार, पटना

दिनांक 27.05.2016 को निदेशक कृषि, बिहार, पटना–सह–अध्यक्ष मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण प्रतिष्ठानों के चयन के लिए आमंत्रित निविदाओं में से तकनीकी रूप से योग्य पाये गए निविदाओं के वित्तीय मूल्यांकन से संबंधित बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति – संचिका में संधारित।

1. निदेशक, बामेती, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में प्राप्त/प्राप्त होने वाली राशि के लेखा अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण प्रतिष्ठानों के चयन के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था जिसके लिए कुल 31 अंकेक्षण प्रतिष्ठानों से निविदा प्राप्त हुई थी।
2. दिनांक 21.01.2016 को मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन किया गया था जिसमें से 06 प्रतिष्ठानों की निविदा तकनीकी रूप से अयोग्य पाई गई थी तथा कुल 25 प्रतिष्ठानों की तकनीकी निविदा योग्य पाई गई थी।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन समिति के सदस्य श्री रामजी सिंह, अपर सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग द्वारा यह कहते हुए दिनांक 21.01.2016 को आयोजित मूल्यांकन समिति के बैठक में भाग नहीं लिया गया था कि यह कार्य आंतरिक वित्तीय सलाहकार को सौंपे गए दायित्वों में सम्मिलित नहीं है। इसके लिए उन्होंने संयुक्त सचिव तथा सचिव, व्यय, वित्त विभाग द्वारा दिए गए टिप्पणी पृष्ठ की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया था। इसके पूर्व भी अंकेक्षण प्रतिष्ठानों के चयन के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी जिसमें श्री रामजी सिंह, संयुक्त सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग उपस्थित थे जिसे अपरिहार्य कारणवश रद्द कर दिया गया था। बार–बार निविदा निकालने से समय की बर्वादी, अनावश्यक खर्च होता है जिसके आलोक में समिति द्वारा निविदा खोलने का निर्णय लिया गया था। इस बार भी अपर सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया गया।
4. तकनीकी रूप से योग्य पाए गए प्रतिष्ठानों के वित्तीय निविदाओं को खोला गया तथा प्रतिष्ठानवार, योजनावार निविदित मूल्यदर का तुलनात्मक विवरणी तैयार किया गया जो अनुसूची–1 एवं 2 के रूप में संलग्न है तथा योजनावार, प्रतिष्ठानवार न्यूनतम निविदित मूल्यदर (L-1) निम्न प्रकार से पाया गया–

क्र0 सं0	योजना का नाम	KRA & Co., Chartered Accountant, c/o Kiran Prakashan, Naya Tola, Patna-800004, 9708747261	Anjali Jain & Associates Chartered Accountant, Jain Villa, P.P. Compound, Ranchi 834001, Tel. 0651-2331044	N.R. Baid & Co., 213, 2nd Floor, Ashiana Towers, Exhibition Road, Patna 800001	अभ्युक्ति
1.	RKVY	1,90,750.00	1,96,061.20	5,98,148.00	L-1= 1,90,750.00
2.	NFSM	1,64,045.00	1,96,061.20	5,98,148.00	L-1= 1,64,045.00
3.	ATMA	2,07,116.00	1,96,061.20	5,98,148.00	L-1= 1,96,061.00
4.	NHM	1,22,080.00	94,690.00	4,60,290.00	L-1= 94,690.00
5.	NMOOP	1,65,151.00	1,96,061.20	5,98,148.00	L-1= 1,65,151.00

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है–

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए **KRA & Co.** का निविदित मूल्यदर न्यूनतम (L-1) रू0 1,90,750.00 (रू0 एक लाख नब्बे हजार सात सौ पचास मात्र) पाया गया।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए **KRA & Co.** का निविदित मूल्यदर न्यूनतम (L-1) रू0 1,64,045.00 (रू0 एक लाख चौसठ हजार पैंतालीस मात्र) पाया गया।
- आत्मा योजना के लिए **Anjali Jain & Associates** का निविदित मूल्यदर न्यूनतम (L-1) रू0 1,96,061.00 (एक लाख छियानवे हजार एकसठ रूपया मात्र) पाया गया।
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए **Anjali Jain & Associates** का निविदित मूल्यदर न्यूनतम (L-1) 94,690.00 रू0 (चौरानवे हजार छः सौ नब्बे रू0 मात्र) पाया गया।
- नमूप योजना के लिए **KRA & Co.** का निविदित मूल्यदर न्यूनतम (L-1) रू0 1,65,151.00 (रू0 एक लाख पैंसठ हजार एक सौ एकावन मात्र) पाया गया।

उपर्युक्त योजनाओं के लिए प्राप्त L-1 पर अंकेक्षण कराने हेतु अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।

5. IWMP/PMKSY योजना के लिए कोई वित्तीय निविदा नहीं माँगी गई थी क्योंकि निदेशक, भूमि संरक्षण द्वारा इस योजना के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण प्रतिष्ठान का चयन किया जा चुका है। फलस्वरूप IWMP/PMKSY योजना के लिए प्राप्त वित्तीय निविदा को रद्द करने का निर्णय लिया गया।
6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, आत्मा योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं नमूप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राप्त राशि के अंकेक्षण हेतु अगर उपर्युक्त न्यूनतम निविदित मूल्य दर (L-1) से कम दर पर संबंधित निदेशालय/नोडल सेल

द्वारा अंकेक्षण करने हेतु अंकेक्षण प्रतिष्ठान का चयन किया गया होगा तो संबंधित निदेशालय/नोडल सेल द्वारा चयनित अंकेक्षण प्रतिष्ठान के लिए निर्धारित न्यूनतम दर हीं लागू माना जाएगा।

7. अंकेक्षण प्रतिष्ठानों के चयन के लिए विज्ञापन हेतु तैयार किए गए Request for Proposal (RFP) की कंडिका–14 में अंकेक्षण प्रतिष्ठानों के चयन एवं उनके Empanelment के लिए प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण प्रतिष्ठान का चयन न्यूनतम निविदित मूल्यदर (L-1) पर किया जाएगा तथा अगर L-1 पर अंकेक्षण करने हेतु अन्य कोई अंकेक्षण प्रतिष्ठान लिखित रूप में अपनी सहमति देते हैं तो उन्हें भी अंकेक्षण के लिए अंकेक्षण प्रतिष्ठानों की सूची में सूचीबद्ध (Empanelment में) शामिल किया जाएगा तथा अंकेक्षण प्रतिष्ठान के C.A./ACA and other staff status के आधार पर कृषि निदेशालय/बामेती/उद्यान निदेशालय द्वारा अंकेक्षण हेतु कार्यालय आदेश निर्गत किया जाएगा परन्तु प्रथम प्राथमिकता L-1 वाले प्रतिष्ठान को दी जाएगी। कंडिका सं0 –5 में उपर्युक्त योजनाओं के लिए प्राप्त L-1 पर अंकेक्षण करने हेतु निम्नलिखित प्रतिष्ठानों द्वारा अपनी लिखित सहमति दी गई है–
   i. Dinesh K. Yadav & Associates, M-4, Narayan Place, 42, Frazer Road, Patna 800001
   ii. Anjali Jain & Associates, Chartered Accountant, 2nd Floor, LB Palace, Opposite Reliance Comm., Kadam Kuan, Patna 800003
   iii. P. Jyoti & Co., 201, Kedar Bhawan, Near Federal Bank, S.P. Verma Road, Patna 800001.

कंडिका सं0 – 05 में उपर्युक्त योजनाओं का अंकेक्षण L-1 पर करने वाली संस्थाओं के साथ उपर्युक्त तीनों प्रतिष्ठानों को अंकेक्षण प्रतिष्ठान के रूप में सूचीबद्ध (Empanelment) करने का निर्णय लिया गया।

8. उपर्युक्त कंडिकाओं में मूल्यांकन समिति द्वारा लिए गए निर्णय पर आपत्ति प्राप्त करने हेतु बैठक की कार्यवाही को कृषि विभाग तथा बामेती के वेबसाईट पर अपलोड करने का निर्णय लिया गया ताकि अगर किसी प्रतिष्ठान को कोई आपत्ति हो तो अपलोड की तिथि से 10 दिनों के अंदर आपत्ति प्रमाणपत्र देते हैं तो उसे मूल्यांकन समिति की बैठक में रखकर विचार किया जाएगा अन्यथा उपर्युक्त निर्णय लागू समझा जाएगा।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

20.5.16		30/5/16	30/5/16
Joint Director of Agriculture(Chemistry)-Cum-OIC, Atma Scheme	**Addl. Director (Agro) Bihar**	**Director BAMETI, Bihar**	**Director Agriculture, Bihar**